

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर (म.प्र.)

1. ओमकार वल्द भगुन्त कुर्मी उम्र 63 वर्ष
2. बाबूलाल वल्द भगुन्त कुर्मी उम्र 58 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम जेरई तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

- अपीलार्थीगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

- प्रतिअपीलार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रां.सहिता 1959

अपीलार्थीगण निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं :-

अधीनस्थ न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय संभाग सागर के समक्ष प्रश्नाधीन अपील क्रमांक 511/बी-121/2009-2010 पारित आदेश दिनांक 8.10.2013 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय बोर्ड के समक्ष निम्न तथ्य एवं आधारों पर आधारित अपील प्रस्तुत है।

1. यह कि माननीय अपर आयुक्त के समक्ष कलेक्टर के पुनरीक्षण आदेश से परिवेदित होकर संभागायुक्त को अपील प्रस्तुत की थी। कलेक्टर को तहसीलदार वृत्त नरयावली के द्वारा अवैध रूप से निरस्त राजस्व दुरुस्ती प्रकरण (नक्शा दुरुस्ती) प्रकरण निरस्त करने से रिवीजन जिलाधीश महोदय को पेश किया गया था।
2. यह कि अपीलार्थीगण के पैट्रिक खसरा नम्बर 360, 358 रकवा क्रमशः 1.99, 1.21 जिसमें बंदोबस्ती पूर्व के खसरा नम्बर 250/1, 250/2 दोनों का रकवा 3.20 हेक्टेयर के नक्शा में से बीच में से खुरई बीना राजमार्ग निकल जाने से उपरोक्त खसरा के एक तरफ का भाग रकवा करीब 50 डिसमिल का नम्बर नहीं दिये जाने से उपरोक्त राजस्व दुरुस्ती का

11-30-11/14

शा.प्र.दि.वि. 31/12/13

का.प्र.दि.वि. 31/12/13

31/12/13

1-1-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

62

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला सागर

प्रकरण क्रमांक अपील 30-तीन/14


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

04.02.2015
सागर कैंप

आवेदक अधिवक्ता पूर्व पेशी दिनांक 30-9-2014 से सूचना उपस्थित अनुपस्थित हैं । आवेदक अधिवक्ता को समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।


प्रशासकीय सदस्य